न्याः–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	:	**मीना गहलोत, (RJS)**
विविध फौजदारी प्र. संख्या	:	10/2021
CIS No.	:	10/2021
CNR No.	:	RJSG180000602021

1. सुखवीर कौर पुत्री लाभ सिंह पत्नी बलराज सिंह, निवासी–बनवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।
2. हरसिमरत पुत्री बलराज सिंह, निवासी–बनवाली, तहसील– सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बलराज सिंह पुत्र सुखवंत, निवासी–दलबीरखेड़ा, तहसील व जिला–फाजिल्का(पंजाब)।
2. सुखवंत सिंह पुत्र नामालुम, निवासी–दलबीरखेड़ा, तहसील व जिला–फाजिल्का(पंजाब)।
3. सुखविन्द्र कौर पत्नी सुखवंत सिंह, निवासी–दलबीरखेड़ा, तहसील व जिला–फाजिल्का(पंजाब)।
4. रणदीप कौर पुत्री सुखवंत सिंह, निवासी–दलबीरखेड़ा, तहसील व जिला–फाजिल्का(पंजाब)।
5. काबल सिंह पुत्र नामालूम, निवासी–दलबीरखेड़ा, तहसील व जिला–फाजिल्का(पंजाब)।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 12, 17, 18, 19(1),(2),(3),(5), 22
घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम, 2005

उपस्थितिः–

01. श्री कुन्दनलाल चुघ, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
02. श्री विकास गुरिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण।

– निर्णय – **दिनांक–27.03.2026**

01. इस निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण सुखवीर कौर व अन्य के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र दिनांक 04.01.2021 बाबत् घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है।

02. आवेदिका/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेविका की शादी दिनांक 14.04.2013 को अप्रार्थी बलराज सिंह के साथ मुताबिक रीति–रिवाज के साथ गांव बनवाली में सम्पन्न हुई थी। आवेदिका के माता–पिता ने आवेदिका की शादी में 500000/– रूपये नकद, 1 अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई मशीन, कूलर, इत्यादि एवं सोने के जेवरात व अन्य सामान दिया था। जिसे डोली के समय बलराज सिंह, सुखवंत सिंह, सुखविन्द्र कौर, रणदीप कौर, काबल सिंह को बतौर अमानतन संभलवा दिया था ओर उन्हें बता दिया था कि उक्त तमाम सामान आवेदिका का स्त्रीधन है। जब भी आवेदिका उक्त सामान मांगे तो उसे सुपुर्द कर देना। आवेदिका शादी के पश्चात अपने ससुराल चली गई। शादी के पश्चात अप्प्रार्थीगण सं० 1 ता 5 का व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं रहा। अप्रार्थीगण आवेदिका को दहेज़ हेतु तंग व परेशान करने लग गये और 500000/– रूपये नकद की मांग करने लग गये। अप्रार्थीगण ने कहा कि बलराज सिंह ने विदेश जाना है, वह अपने पिता से 500000/– रूपये लेकर आ। तब आवेदिका के पिता ने अप्रार्थीगण बलराज सिंह, सुखवंत सिंह, सुखविन्द्र कौर, रणदीप कौर को 400000/– रूपये नकद दिये और कहा कि आप उसकी लड़की सुखवीर कौर को तंग व परेशान ना करो। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के पश्चात भी खुश नहीं हुए और वे आवेदिका को ताने दे–दे कर तंग व परेशान करने लग गये व आवेदिका के साथ मारपीट भी करते थे। आवेदिका व बलराज सिंह के दाम्पत्य संबंधो से एक पुत्री हरसिमरत कौर पैदा हुई। जिसकी उम्र करीबन 6 वर्ष है। अप्रार्थीगण बलराज सिंह, ससुर सुखवंत सिंह, सास सुखविन्द्र कौर, नन्नद रणदीप कौर चाचा ससुर कावल सिंह ने आज से करीबन 10 माह पूर्व 500000/– रूपये दहेज की मांग करते हुए आवेदिका व उसकी पुत्री को महज पहने हुए कपडो में मारपीट करके घर से निकाल दिया और कहा कि 500000/– रूपये वह अपने पिता से लेकर आयेगी तो ही उसको बसायेंगे नहीं तो नहीं बसायेंगे। आवेदिका पिता ने पंच पंचायत की, लेकिन अप्रार्थीगण ने आवेदिका को नहीं बसाया। दिनांक 05.05.2019 को आवेदिका व उसका पिता धनराज सिंह, गुरप्रीत सिंह व सरपंच विरेन्द्र अप्रार्थीगण के घर गये और आवेदिका को बसाने के लिए कहा और यह भी कहा कि लाभ सिंह की जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा दे दिया है। लाभ सिंह की और दहेज देने की सामर्थ्य नहीं है। पंचायत के समझाने पर भी अप्रार्थीगण ने आवेदिका को बसाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। तब

आवेदिका ने अपना स्त्रीधन अप्रार्थीगण से मांगा तो अप्रार्थीगण ने आवेदिका का स्त्रीधन देने से इन्कार कर दिया। आवेदिका आज से दो माह पूर्व यानि माह अक्टूबर 2020 में अपनी पुत्री को साथ में लेकर अपने ससुराल दलबीरखेडा में अपने घर पर गयी तो उक्त सभी अप्रार्थीगण ने आवेदिका व उसकी पुत्री को घर में नहीं घुसने दिया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। अप्रार्थीगण ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। आवेदिका व उसकी पुत्री को घर में नहीं रहने दिया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का व्यवहार आवेदिका व उसकी पुत्री के साथ हिंसा कारित की है, अप्रार्थीगण का व्यवहार हमेशा क्रूरतापूर्ण रहा है। आवेदिका अपने माता पिता के साथ में रह रही है अप्रार्थीगण ने आवेदिका को प्रतिकर देने भरण पोषण देने व जमीन जायदाद में हिस्सा देने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है। आवेदिका व उसके माता पिता भय तथा सदमे में रह रहे हैं। आवेदिका के पति व ससुर के नाम से दलवीरखेडा में 13 किला कृषि भूमि है। इसके अतिरिक्त बलराज सिंह के पास दो ट्रैक्टर जोनडीयर व आयशर एक एलटो कार, मोटर साईकिल व ट्रैक्टर के तमाम सामान व रोटोमीटर इत्यादि है। बलराज सिंह एक मुरब्बा जमीन ठेके पर लेकर काश्त करता है। आवेदिका को अप्रार्थीगण ने जमीन में कोई हिस्सा उपज या रकम नहीं दी। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उक्त जमीन की उपज से करीबन 50 लाख रूपये की वार्षिक आमदनी हो जाती है अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पास भैंसे व गाये है जिनके दूध बेचने पर करीबन 2 लाख रूपये की वार्षिक आमदनी हो जाती है। ट्रैक्टरों को किराये पर चलाते है जिससे सलाना 5 लाख रूपये की आमदनी हो जाती है। इस प्रकार आथर्थीगण हंख्या 1 व 2 को सालाना 57 लाख रूपये की आमदनी है। आवेदिका किसी प्रकार उप कोई कार्य नहीं जानती, आवेदिका के पास कोई रोजगार नहीं है , आवेदिका घरेलू औरत है आवेविका अपना व अपनी पुत्री हरसिमरत कौर का भरण पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका व उसकी पुत्री हरसिमरत कौर को पर्याप्त भरण पोषण हेतु एवं पढाई–लिखाई एवं कंपडे इत्यादि के लिए प्रतिमाह 60,000 रुपये की व पृथक आवास को किराये पर लेने हेतु 5,000 रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है आवेदिका के पति बलराज सिंह पर अन्य काई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए वह अपने जीवन योग्य खर्चे निकाल कर व पर्याप्त बचत कर लेने के पश्चात भी आवेदिका को 65.000 रूपये प्रतिमाह राशि देने में समर्थ है। अंत में निवेदन किया कि आवेदिका व उसकी पुत्री के भरणपोषण से 60 हजार रुपये प्रतिमाह व स्थाई निर्वाह के लिये एक मुश्त धनराशि 15 लाख रुपये, पृथक आवास की सुविधा, आवेदिका की समाजिक, आर्थिक, कानूनी व शारीरिक क्षतियों की भरपाई के लिए एक मुश्त अन्य रुपये, प्रत्यर्थीगण को घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु पाबंद किया

जावे।

03. प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर यह अभिकथन किये कि विवाह दिनांक 14.04.2013 को अप्रार्थी बलराजसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था, किंतु विवाह सादे सामारोह में बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह में किसी प्रकार से कोई दान दहेज नहीं दिया गया था। अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान नहीं किया और ना ही कभी नकदी की मांग की है और ना ही कभी आवेदिका के द्वारा कोई राशि अपने परिवार से लाकर दी है उक्त सब तथ्य काल्पर्निक व बढा चढ़ा कर प्राथ ना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत पेश किए है, वास्तविकता तो यह है कि आवेदिका स्वयं ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 के साथ गांव में नहीं रहना चाहती है, जिस कारण से आवेदिका अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बनाती रही कि वह शहर में जाकर उसके साथ रहे, अप्रार्थी संख्या 1 के इंकार करने पर आवेदिका अप्रार्थी संख्या 1 को तरह–तरह की यातनाएं देकर तंग परेशान करती आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा यह सोच कर की घर बना रहे वह अपने परिवार से अलग होकर अलग मकान में निवास करने लगा, लेकिन आवेदिका इस बात पर भी राजी नहीं हुई है। आवेदिका के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दहेज का मुकदमा अर्न्तगत धारा 406–498 (ए) आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर दिया गया, सामान बरामद करवा लिया था अब अप्रार्थी संख्या 1 के पास कोई भी सामान आवेदिका का नहीं है। आवेदिका अपनी स्वयं की इच्छा व जिद्द के कारण अपने पिता के पास निवास कर रही है, वह किसी प्रकार से कोई भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी पुत्री के प्यार दुलार से वंचित किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई कृषि भूमि या अन्य कोई सम्पति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई कृषि–भूमि, ट्रेक्टर व अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 मजदूरी का कार्य करता है, मजदूरी कभी मिलती है और कभी नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिमाह 4,000/ रूपये से अधिक आय नहीं होती है। जबकि आवेदिका अच्छी पढ़ी लिखी है तथा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर करीब 30,000/ रूपये प्रतिमाह आय बढ़ी आसानी से कर रही है, इस कारण से भी आवेदिका अधिक आय अर्जित करने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ गांव में रहना नहीं चाहती है और आवेदिका अधिक आय अर्जित करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से कोई भरण पोषण राशि अपनी व अपनी पुत्री की प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अंत मे निवेदन किया कि आवेदिका पक्ष

का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

04. साक्ष्य प्रार्थिया में मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रार्थिया सुखवीर कौर पी.डब्लयू.–1 सुखवीर कौर के रूप में, गुरप्रीत सिंह पी.डब्ल्यू. 02 एवं विरेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू.03 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी खेवट नम्बर 281/259 की प्रति प्रदर्श पी.1 एवं जमाबंदी खेवट नंबर 199/181 प्रदर्श पी.2 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

05. साक्ष्य अप्रार्थीगण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई गई।

06. उपर्युक्त अभिवचनों के आधार पर प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू उद्भूत होते हैः–

(क) ''क्या प्रार्थिया अप्रार्थीगण के साथ घरेलू नातेदारी में सांझा गृहस्थी में रही है?

(ख) ''क्या प्रार्थिया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित की गई है तथा प्रार्थिया को मानसिक वेदना कारित की गई?

(ग) ''यदि हाँ तो उचित अनुतोष क्या होगा?

07. बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया है।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिये कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान नहीं किया और ना ही कभी नकदी की मांग की है । आवेदिका स्वयं ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 के साथ गांव में नहीं रहना चाहती है, आवेदिका अपनी स्वयं की इच्छा व जिद्द के कारण अपने पिता के पास निवास कर रही है, वह किसी प्रकार से कोई भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी पुत्री के प्यार दुलार से वंचित किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई कृषि भूमि या अन्य कोई सम्पति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई कृषि–भूमि, ट्रेक्टर व अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 मजदूरी का कार्य करता है, मजदूरी कभी मिलती है और कभी नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिमाह 4,000/ रूपये

से अधिक आय नहीं होती है। जबकि आवेदिका अच्छी पढ़ी लिखी है तथा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर करीब 30,000/ रूपये प्रतिमाह आय बढ़ी आसानी से कर रही है, इस कारण से भी आवेदिका अधिक आय अर्जित करने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ गांव में रहना नहीं चाहती है और आवेदिका अधिक आय अर्जित करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से कोई भरण पोषण राशि अपनी व अपनी पुत्री की प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अंत में प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अवधार्य बिन्दु (क)

08. उक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में प्रार्थिया सुखवीर कौर पी.डब्ल्यू. 01 ने अप्रार्थी बलराज सिंह के साथ दिनांक 14.04.2013 को मुताबिक रीति रिवाज रिश्तेदारों एवं प्रतिष्ठितजन की मौजूदगी में सम्पन्न होना और ससुराल में अपना समय व्यतीत करने इत्यादि के संबंध में कथन किये हैं। प्रार्थिया के उक्त कथनों की ताईद अन्य गवाह गुरप्रीत सिंह पी.डब्ल्यू. 02 व विरेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 03 ने भी की है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया से विवाह होने तथा प्रार्थिया का पत्नी होने से इन्कार नहीं किया, बल्कि उनके सहवास से पुत्री हरसमिरत कौर का जन्म होना भी जवाब प्रार्थना–पत्र में बताया है। ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्य स्वीकृत तथ्य होने से स्पष्ट है कि प्रार्थिया सुखवीर कौर व अप्रार्थी बलराज सिंह घरेलू नातेदारी में सांझा गृहस्थी में रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में आगे और विस्तृत विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अवधार्य बिन्दु (ख)

09. इस सम्बन्ध में प्रार्थिया सुखवीर कौर पी.डब्ल्यू. 01 ने दौराने साक्ष्य एवं अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किये कि शादी के पश्चात अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 का व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं रहा। अप्रार्थीगण आवेदिका को दहेज़ हेतु तंग व परेशान करने लग गये और 500000/– रूपये नकद की मांग करने लग गये। अप्रार्थीगण ने कहा कि बलराज सिंह ने विदेश जाना है, वह अपने पिता से 500000/– रूपये लेकर आ। तब आवेदिका के पिता ने अप्रार्थीगण बलराज सिंह, सुखवंत सिंह, सुखविन्द्र कौर, रणदीप कौर को 400000/– रूपये नकद दिये और कहा कि आप उसकी लड़की सुखवीर कौर को तंग व परेशान ना करो। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के पश्चात भी खुश नहीं हुए और वे आवेदिका को ताने दे–दे कर तंग व परेशान करने लग गये व आवेदिका के साथ मारपीट भी करते थे। अप्रार्थीगण बलराज सिंह, ससुर सुखवंत सिंह, सास सुखविन्द्र कौर, नन्नद रणदीप कौर

चाचा ससुर कावल सिंह ने 500000/– रूपये दहेज की मांग करते हुए आवेदिका व उसकी पुत्री को महज पहने हुए कपडो में मारपीट करके घर से निकाल दिया और कहा कि 500000/– रूपये वह अपने पिता से लेकर आयेगी तो ही उसको बसायेंगे नहीं तो नहीं बसायेंगे। आवेदिका पिता ने पंच पंचायत की, लेकिन अप्रार्थीगण ने आवेदिका को नहीं बसाया। दिनांक 05.05.2019 को आवेदिका व उसका पिता धनराज सिंह, गुरप्रीत सिंह व सरपंच विरेन्द्र अप्रार्थीगण के घर गये और आवेदिका को बसाने के लिए कहा और यह भी कहा कि लाभ सिंह की जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा दे दिया है। लाभ सिंह की और दहेज देने की सामर्थ्य नहीं है। पंचायत के समझाने पर भी अप्रार्थीगण ने आवेदिका को बसाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। तब आवेदिका ने अपना स्त्रीधन अप्रार्थीगण से मांगा तो अप्रार्थीगण ने आवेदिका का स्त्रीधन देने से इन्कार कर दिया। आवेदिका माह अक्टूबर 2020 में अपनी पुत्री को साथ में लेकर अपने ससुराल दलबीरखेडा में अपने घर पर गयी तो उक्त सभी अप्रार्थीगण ने आवेदिका व उसकी पुत्री को घर में नहीं घुसने दिया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। अप्रार्थीगण ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। आवेदिका व उसकी पुत्री को घर में नहीं रहने दिया। प्रार्थिया के उक्त कथनों की ताईद अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गुरप्रीत सिंह द्वारा भी की गई है। आवेदिका ने अपने बयानों में अप्रार्थीगण द्वारा तंग–परेशान करने, दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में पंचायत होने बाबत् भी कथन किये है। इस सम्बन्ध में पंचायती गवाह पी.डब्ल्यू. 03 विरेन्द्र सिंह की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा स्वरूप पेश शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि सुखवीर कौर के साथ उसके ससुराल वालों का व्यवहार शुरू से ठीक नहीं था, वे उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान व मारपीट करते थे। सुखवीर कौर माह अक्टूबर, 2020 में अपनी पुत्री को साथ लेकर अपने ससुराल दलवीर खेड़ा में अपने घर पर गयी तो उसके ससुराल वालों ने घर में नहीं घुसने दिया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पंचायत में अप्रार्थीगण को काफी समझाया किंतु वे नहीं माने। इस प्रकार उक्त पंचायती गवाह ने भी आवेदिका के कथनों की पूर्ण रूप से पुष्टि की है। जबकि उक्त कथनों के विरोध में अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे प्रार्थिया द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय है। हालांकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गवाहान से विस्तृत रूप से जिरह भी की गई है, किंतु तात्विक प्रकृति का कोई विरोधाभास न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।

10. अब यदि प्रकरण में पेश की गई साक्ष्य को इसकी समग्रता में देखें तो प्रार्थिया सुखवीर कौर एवं उसका पति बलराज सिंह के वैवाहिक संबंधों में काफी हद तक

क्षरण हो चुके होने का तथ्य तो न्यायालय के सामने आया है, परंतु कुछ तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि अप्रार्थी बलराज सिंह विवाह के पश्चात अपनी पत्नि श्रीमती सुखवीर कौर के साथ दुर्व्यवहार करता था। यद्यपि मात्र इस आधार पर अंतिम तौर पर प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी बलराज सिंह के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को तब तक प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वह आरोप अन्वीक्षा की कसौटि पर खरे न उतरते हों, परंतु हस्तगत प्रार्थनापत्र के निर्धारण के लिए प्रार्थिया श्रीमती सुखवीर कौर के स्तर पर न्यायालय को यह अपेक्षा नहीं है कि वह अपने आरोपों को सभी संदेहों से परे जाकर साबित करे ।

11. इस स्तर पर न्यायालय को प्रार्थिया सुखवीर कौर एवं उसके पति बलराज सिंह के पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के मूल बल एवं सार को देखना है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी बलराज सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करें तो उसमें अप्रार्थी ने प्रार्थिया व पुत्री को आज भी बसाने के लिए तैयार व तत्पर रहना बताया है। किंतु इस सम्बन्ध में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके प्रार्थिया स्वयं अप्रार्थी के बसना नहीं चाहती या अप्रार्थी प्रार्थिया को बसाना नहीं चाहता। जबकि अप्रार्थी स्वयं ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में आवेदिका द्वारा उसके विरुद्ध दहेज का मुकदमा अंतर्गत धारा 406, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाया जाना बताया है। इससे अप्रार्थी बलराज सिंह की अभिव्यक्ति के तरीके के जरिये उसका व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है जो प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विशिष्ट रूप से न सही परंतु सामान्य रूप से एक ऐसी विश्वसनीयता प्रदान करता है जो न्यायालय को उसे अनुतोष प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होने लगता है। गौरतलब है कि प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी बलराज सिंह के साथ–साथ अन्य अप्रार्थीगण पर भी घरेलू हिंसा से संबंधित कई आरोप लगाए गए हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया अनुतोष अपने पति बलराज सिंह से ही चाहती है। पक्षकारान के द्वारा पेश साक्ष्य को तोलने के पश्चात प्रथम दृष्ट्या तौर पर इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात कि कहीं न कहीं अप्रार्थी बलराज सिंह प्रार्थिया के प्रति घरेलू हिंसा कारित करने के कृत्यों के लिए जिम्मेवार हैं।

12. उल्लेखनीय है कि **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 03 के** तहत अप्रार्थी का कोई भी कार्य लोप, या कारण या आचरण घरेलू हिंसा के रूप में होगा। यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वाथ्य, सुरक्षा, जीवन अंग या भलाई, चाहे मानसिक हो, शारीरिक या अपहानि करता या क्षति करता है या संकटापन्न करता है और

इसके अन्तर्गत शारीरिक, दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार मौखिक और भानात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार आता है।

13. अब न्यायालय को यह देखना है कि हस्तगत प्रकरण विशेष की परिस्थितियों में प्रार्थिया को किस प्रकृति का एवं कितना अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया पी.डब्ल्यू. 01 सुखवीर कौर की प्रतिपरीक्षा एवं प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करें तो उसमें प्रार्थिया ने अप्रार्थी का गाय–भैंसों का दूध बेचने, ट्रैक्टर एवं कृषि–भूमि होना बताया है। आगे यह भी कथन किये हैं कि मौका पर उसकी लड़की बलराज सिंह के पास है, एक साल से उसकी लड़की की पढ़ाई–लिखाई, चिकित्सा का खर्चा बलराज सिंह वहन कर रहा है और उसके पिता के नाम 18 बीघा कृषि भूमि है। साथ ही प्रार्थिया ने अप्रार्थी पक्ष के पास 13 किला कृषि भूमि होना व अन्य कृषि–भूमि ठेका पर लेकर काश्त करना, गायों व भैंसो का दूध बेचकर, ट्रैक्टर इत्यादि को किराये पर देकर आय अर्जित करना बताया है और अपने कथनों के समर्थन में जमाबंदी प्रदर्श पी.1 व प्रदर्श पी. 2 पेश किये हैं, जिसका अवलोकन करने से यह प्रकट है कि उसमें अप्रार्थी के नाम से किसी प्रकार की कोई कृषि–भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, किंतु अप्रार्थी के पिता सुखवंत सिंह के नाम से कृषि–भूमि होना स्पष्टतः प्रकट होता है। न्यायालय के विनम्र मत में अप्रार्थी बलराज सिंह की ऐसी किन्हीं अन्य सम्पत्तियों के संबंध में स्पष्ट तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाई है एवं ना ही आय के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। परंतु प्रार्थिया को प्रदान की जाने वाली मासिक राशि की मात्रा तय करने से पहले बलराज सिंह पर अपने माता–पिता एवं बच्ची की जिम्मेवारी के तथ्य को नजदअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी बलराज सिंह प्रार्थिया का पति है, जिसका यह विधिक व नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करे, प्रार्थिया वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है, जिसको भरण–पोषण, आवास, चिकित्सा के लिये निश्चित रूप से राशि की आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी प्रार्थिया के भरण–पोषण, आवास इत्यादि हेतु प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित करने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है तथा प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– आदेश –

14. लिहाजा प्रार्थिया सुखवीर कौर पुत्री लाभ सिंह पत्नी बलराज सिंह, निवासी–बनवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बलराज सिंह व अन्य आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:'–

1. धारा 18 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अप्रार्थीगण प्रार्थिया/व्यथित सुखवीर कौर के साथ घरेलू हिंसा कारित नहीं करें।

2. धारा 19 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पैतृक मकान या अप्रार्थी के स्वामित्व के घर में स्थित आवास में रहने या अन्य वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिए किराये का संदाय करे एवं उनकी रिहायश में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचायें।

3. धारा 20 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अप्रार्थी, प्रार्थिया के भरण–पोषण(खाना, कपड़े, चिकित्सा व अन्य दैनिक आवश्यकताओ) हेतु **प्रार्थिया सुखवीर कौर को 4,000/–रूपये** गुजारा भत्ता राशि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से आवेदिका/व्यथिता को अदा करे। प्रार्थिया यदि अन्य किसी आदेश के तहत भरण पोषण प्राप्त कर रही है तो उक्त राशि इस भरण–पोषण की राशि में समायोजित होगी।

15. अप्रार्थी बलराज सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व उक्त वर्णित भरण–पोषण की राशि प्रार्थिया को अदा करेगा।

16. प्रार्थिया द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र चाहे गये अन्य अनुतोष को अस्वीकार किया जाता है।

(मीना गहलोत)

17. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीना गहलोत)

SATPAL
Steno Gr.II "authenticate document"
Digitally signed by SATPAL
Date: 2026.04.01 14:48:20 +0530